

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 712]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-11/2020/26. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12/12/2012/सक/26, दिनांक 04-01-2012, संशोधित अधिसूचना दिनांक 17-06-2015 के अनुसूची के सरल क्रमांक 1 के कॉलम-(3) में क्रमांक 5 के पश्चात् क्रमांक “6. मुख्यमंत्री पेंशन योजना” निम्नानुसार अंतःस्थापित करता है, अर्थात् :-

क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ग्रामीण क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र			
1.	जनपद पंचायत	6. मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु आवेदन	स्वीकृति 60 कार्य दिवस एवं भुगतान प्रतिमाह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज. पं.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	शहरी क्षेत्र				शहरी क्षेत्र	
	नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत		स्वीकृति 60 कार्य दिवस एवं भुगतान प्रतिमाह	आयुक्त-न. पा. नि./ मुख्य नगर पालिका अधिकारी न. पा. प./ न. पं.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश तिवारी, उप-सचिव.